अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 02, बूंदी दीवानी इजराय संख्या 56 / 2020 उम्मेद सिंह बनाम रंगलाल वगै0

29.04.2026	अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। लेखाशाखा से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ कि डी.डी. में अंकित राशि में से डिक्रीदारान को कितनी कितनी राशि का भुगतान किया जाना है, यह अंकित नहीं है। डिक्रीदारान द्वारा पेश बैंक की पासबुक अस्पष्ट है। जबकि बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बदल चुका है तथा नये खाते नम्बर जारी किये जा चुके है। डिक्रीदारान द्वारा पुरानी पासबुक पेश की गई है जिसमें खाता संख्या स्पष्ट नहीं है। अतः भुगतान राशि के अंकन व स्पष्ट बैंक विवरण के आदेश हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता डिक्रीदारान द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय पासबुक की प्रति पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित खातों मे 1 लाख 60 हजार रूपये समान अनुपात में आधी–आधी राशि दोनो डिक्रीदारान के खातों में जमा करवाये जाने का निवेदन किया। पूर्व आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुसार रंगलाल द्वारा जरिये दो डी.डी. क्रमशः 1,34,000 रूपये डी.डी. सं 094351 एवं 26,000 रूपये डी.डी. सं 094353 जमा करवायी गई की राशि उम्मेद सिंह व उसकी पत्नी राजन्ता के खाते में जमा करवायी जानी है। अतः आज प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खातों में डी.डी. सं. 094351 की राशि 1,34,000 रूपये की आधी–आधी राशि 67,000–67,000 रूपये व डी.डी. सं0 094353 की राशि 26,000 रूपये की आधी–आधी राशि 13,000–13,000 रू कुल 80,000–80,000 रूपये प्रत्येक डिक्रीदार उम्मेद सिंह व राजन्ता के खातों में जमा करवायी जावे तथा रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की जावे। शेष निर्णित ऋणीगण की ओर से कोई अदायगी नही की गई है ना ही नीलामी कार्यवाही की कोई रिपोर्ट पेश हुई है। अतः तहसीलदार हिण्डोली को नीलामी कार्यवाही करने बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने रिपोर्ट दिनांक 06.05.2026 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)	